

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक 427 /33 दिनांक: देहरादून: जुलाई: 29 2024

अल्पकालीन निविदा सूचना


महामहिम राज्यपाल उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा "जिला सैक्टर योजनाओं" के अन्तर्गत निम्न कार्य हेतु निविदायें जो ठेकेदार/फर्म देहरादून वन प्रभाग में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत हों, उनसे पंजीकृत/स्पीड पोस्ट/कुरियर/निविदा पत्र पेटि में दिनांक 17.08.2024 के सांय 4 बजे तक आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र दिनांक 16.08.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, 5-तिलक रोड, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/ प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती हैं। निविदा देने वाले ठेकेदार कार्य स्थल का निरीक्षण करने पश्चात ही निविदा डालें। निविदा में दी जाने वाली दरों में जी०एस०टी० का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। प्राप्त निविदायें दिनांक 17.08.2024 को सांय 4.30 बजे अधोहस्ताक्षरी या अधोहस्ताक्षरी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वन विभाग की वेबसाईट www.forest.uk.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र० सं०	राजि का नाम	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि
1.	थानों	रानीपोखरी से भोगपुर तक जंगली जानवरों से किसानों की खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य।	एक माह	1385000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 42,000.00
2.	बड़कोट	ग्राम लिस्ट्राबाद से आरक्षित वन सीमा के मिलान तक जंगली जानवरों से किसानों की खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य।	एक माह	1385000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 42,000.00
3.	लच्छीवाला	लच्छीवाला क०सं० 01 में जंगली जानवरों से किसानों की खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य।	एक माह	1385000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 42,000.00
4.	मल्हान	कालूवाला क०सं० 3,4,5 एवं मल्हान क०सं० 1,5 ए व 6 में जंगली जानवरों से किसानों की खेती सुरक्षा हेतु सोलर फेन्सिंग कार्य।	एक माह	1385000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 42,000.00
5.	मल्हान	कारबारी क०सं० 01 में भूमि कटाव रोकने हेतु तारजालयुक्त सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य।	20 दिन	400000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 12,000.00
6.	आसारोड़ी	कारबारी क०सं० 05 में जंगली जानवरों से कृषकों की खेती सुरक्षा ही सुरक्षा दीवाल का निर्माण कार्य	एक माह	1700000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 51,000.00
7.	झाझरा	मझौन क०सं० 01 जंगली जानवरों से कृषकों की खेती सुरक्षा हेतु सुरक्षा दीवाल का निर्माण कार्य	एक माह	1700000.00	रु० 1500 + 18%GST	रु० 51,000.00
8.	झाझरा	झाझरा रेंज के अन्तर्गत धूलकोट क०सं० 01 में सुरक्षा दीवाल निर्माण कार्य	20 दिन	300000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 9,000.00
9.	झाझरा	डूंगा क०सं० 9 व 10 के मध्य ग्राम सौड़ा को जाने वाले मार्ग पर पुल की क्षतिग्रस्त नींव मरोम्मत कार्य	20 दिन	360000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 10,000.00

1. T.C.C.
निविदा प्रपत्र वन विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।
29/8/24

क्र० सं०	राजि का नाम	कार्य का विवरण	कार्य पूर्ण करने की अवधि	कार्य की अनुमानित लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य	धरोहर धनराशि
10.	आसारोड़ी	अनुभाग अधिकारी आवास कड़वापानी का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	300000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 9,000.00
11.	बड़कोट	वन क्षेत्राधिकारी आवास बड़कोट का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	350000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 10,000.00
12.	थानों	वन चौकी थानों का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	300000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 9,000.00
13.	मालसी	वन चौकी मालसी का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	300000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 9,000.00
14.	मल्हान	वन विश्राम भवन सभ्मावाला में पानी की व्यवस्था एवं मरोम्मत कार्य एवं साज-सज्जा।	20 दिन	375000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 10,000.00
15.	ऋषिकेश	वन चौकी बीबीवाला दक्षिण का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	350000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 10,000.00
16.	झाझरा	वन चौकी झाझरा का जीर्णोद्धार कार्य	20 दिन	300000.00	रु० 500 + 18%GST	रु० 9,000.00

नोट:- शर्तें एवं प्रतिबन्ध देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के कार्यालय नोटिस बोर्ड पर किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।


 (नीरज कुमार)
 प्रभागीय वनाधिकारी
 देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

निविदा की शर्तें

निविदा भेजने से पूर्व निविदादाता निम्न शर्तों को ध्यान से रखकर निविदा दें। किसी भी एक शर्त का पालन ना होने पर निविदा निरस्त की जा सकती है।

- 1 निविदायें उन्हीं फर्मों/ठेकेदारों से आमन्त्रित की जाती हैं जो देहरादून वन प्रभाग, देहरादून में वानिकी/ अन्य कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये पंजीकृत /नवीनीकृत होना चाहिये।
- 2 निविदायें पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर/ निविदा पेटी में दिनांक 17.08.2024 के सायं 04.00 बजे तक आमन्त्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 16.08.2024 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रभागीय वनाधिकारी कार्यालय, 5 तिलक रोड़, देहरादून से प्राप्त किये जा सकते हैं। कार्य का विवरण/प्राक्कलन व निविदा की शर्तें इस कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को आकर देखी जा सकती है।
- 3 विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर कोई विचार नहीं किया जायेगा और वह स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
- 4 निविदा लिफाफे के बाहर जिस कार्य हेतु निविदा दी जा रही है, का नाम स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए।
- 5 निविदा में स्पष्ट लिखा होना चाहिये कि निविदादाता प्राक्कलन लागत से कितने प्रतिशत कम अथवा अधिक पर कार्य करने को तैयार है। एक मुश्त दरें मान्य नहीं होंगी। ऐसी निविदा निरस्त मानी जायेगी। सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
- 6 निविदा के साथ निविदा में दर्शायी गयी धनराशि नेक जमानत/बयाना की धनराशि के रूप में राष्ट्रीय बचत पत्र/बैंक की एफ0डी0आर0 प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग के पदनाम पर निरूपित कर संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 7 निविदा के साथ रू0 100.00 नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रू0 1.00 का रसीदी टिकट हस्ताक्षरयुक्त होना अनिवार्य होगा, जिसके पीछे निविदा की शर्तें लगी हों।
- 8 निविदा के साथ जी0एस0टी0 पंजीकरण, आयकर पंजीकरण प्रमाण पत्रों की फोटों प्रति संलग्न करनी होगी।
- 9 ठेकेदार द्वारा निविदा में दी गयी न्यूनतम दरें कम से कम एक माह के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को यह अधिकार होगा कि उक्त अवधि में ठेकेदार को अनुबन्ध के लिए किसी भी समय बुला लें।
- 10 निविदादाता निविदा प्रेषित करने से पूर्व कार्यस्थल एवं प्राक्कलन का निरीक्षण भली-भाँति कर लें बाद में किसी प्रकार की शिकायत स्वीकार नहीं की जायेगी।
- 11 निविदादाता को अनुबन्ध किये जाने के पश्चात कार्यदेश प्राप्त होते ही कार्य प्रारम्भ करना होगा। कार्य का अनुमान व पूर्ण जानकारी संबंधित वन क्षेत्राधिकारियों के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में देखी जा सकती है।
- 12 टैण्डर स्वीकृत किये जाने की सूचना प्रेषित किये जाने के 7 दिन के अन्दर निविदादाता को कार्यालय में उपस्थित होकर निविदा की कीमत का, 10 प्रतिशत धनराशि या इससे अधिक जैसा भी अधोहस्ताक्षरी उचित समझे अधोहस्ताक्षरी के नाम निरूपित कर जमानत के रूप में जमा करना होगा तथा प्रतिज्ञा पत्र में हस्ताक्षर करने होंगे।

- 13 निविदा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम पर मान्य नहीं होगी।
- 14 विभाग कोई भी सामग्री ठेकेदार को देने के लिए बाध्य नहीं होगा।
- 15 यदि व्यय अनुमान के अतिरिक्त कोई भी कार्य बिना सक्षम अधिकारी की लिखित स्वीकृति के किया गया तो उसका भुगतान करने के लिए विभाग बाध्य नहीं होगा।
- 16 यदि उच्चधिकारियों द्वारा प्राक्कलन में किसी प्रकार से संशोधन किया जाता है तो वह ठेकेदार को मान्य होगा तथा अन्तिम भुगतान तदनुसार ही तुलनात्मक रूप से किया जायेगा।
- 17 कार्यादेश में दी गयी अवधि में कार्य पूर्ण करना होगा अन्यथा प्रतिदिन विलम्ब के लिए विलम्ब शुल्क निर्धारित करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।
- 18 निविदादाता को देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 में विभिन्न वानिकी/निर्माण कार्य का ठेकेदारी व्यवसाय हेतु पंजीकृत/नवीनीकृत होना चाहिए, जिसकी फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी अनिवार्य होगी।
- 19 कार्यों का भुगतान सक्षम अधिकारी के निरीक्षण के पश्चात सन्तोषजनक होने पर किया जायेगा।
- 20 निर्माण में जो भी मलवा आदि स्थल पर आयेगा उसको ठेकेदार को स्वयं हटाना होगा तथा इसके लिए कोई अतिरिक्त धनराशि विभाग द्वारा देय नहीं होगी।
- 21 शासनादेश के अनुसार जी0एस0टी0, आयकर व स्टाम्प शुल्क देना होगा जिसकी कटौती ठेकेदार के भुगतान से की जायेगी।
- 22 निविदादाता को निविदा में अपना पूरा पता, पिता का नाम, दूरभाष संख्या आदि अंकित करना अनिवार्य होगा। दिये गये पते पर पोस्टल डाक द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्त न होने पर यह कार्यालय उत्तदायी नहीं होगा।
- 23 ठेकेदार को निर्माण सामग्री पर देय राल्टी/चूंगी आदि का भुगतान अपने खर्च पर करना होगा। किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने पर पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। बिना कार्यादेश के कोई भी कार्य प्रारम्भ न किया जायेगा।
- 24 यदि निविदा खोलने की तिथि में कोई राजकीय अवकाश पड़ता है तो निविदा अगले कार्य दिवस को खोली जायेगी।
- 25 यदि ठेकेदार द्वारा कोई कार्य असन्तोषजनक किया जाता है या निविदा शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त कर जमानत की धनराशि जफ्त/अपहरीत कर ली जायेगी साथ ही ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड भी किया जा सकता है।
- 26 अन्तिम भुगतान हो जाने के उपरान्त भी यदि कोई राजकीय बकाय वसूली अवशेष रह जाती है, तो उसके भुगतान हेतु ठेकेदार बाध्य होगा।
- 27 कार्य का निरीक्षण, क्षेत्रीय वन रक्षक/वन दरोगा से लेकर उच्चाधिकारी कर सकते हैं। कार्य सन्तोषजनक न होने पर ठेकेदार को स्वयं के व्यय पर पुनः कार्य ठीक करना होगा, अथवा भुगतान काट दिया जायेगा।



(नीरज कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक 427/3-3 दिनांक: देहरादून: जुलाई: 29, 2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
2. मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0सेल, कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।
5. खण्ड विकास अधिकारी, रायपुर, देहरादून।
6. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 देहरादून।
7. समस्त वन क्षेत्राधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
8. उप प्रभागीय वनाधिकारी, ऋषिकेश एवं देहरादून।
9. कार्यालय सूचना पट्ट हेतु।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

